न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/166 जिला–नागौर

1. सर्वेश खान पुत्र चांद खां जाति देशवाली निवासी सुमेर, तहसील मेडता जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मेडता तहसील मेडता जिला नागौर।
2. पटवारी हल्का मोररा तहसील मेडता जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मेडता, निर्णय दिनांक 04.03.2022 अन्तर्गत
राजस्व प्रकरण संख्या 611/2021
बउनवान सर्वेश बनाम सरकार जरिये तहसीलदार मेडता

––––

उपस्थित– 1. श्री विजय दिवाकर, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 13–10–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, मेडता के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम बासनी सुमेर मांगलिया की सरहद मे स्थित पुराने खसरा नम्बर 55 रकबा 10–00–00 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन रास्ता मे से 06 बीघा भूमि को उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक राजस्व/78/43 दिनांक 11.01.1978 से ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित कर दी जिसका नामान्तकरण ग्राम पंचायत मोररा द्वारा प्रीमियम राशि जमा करवा कर दर्ज कर लिया। यह कि खसरा नम्बर 55 के चिपते हुए खसरा नम्बर 31 है उक्त खसरा नम्बर 31 की उत्तरी माठ की सीमा के सामने तक खसरा नम्बर 55 मे से आबादी विस्तार हेतु भूमि दी गई। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 55 के नये नम्बर 84, 85, 86, 87, 88, व 84/119 कायम किये एवं खसरा नम्बर 31 के नये नम्बर 42, 43 कायम किये लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने पुराने खसरा नम्बर 55 मे से आबादी विस्तार हेतू ली गई भूमि का नक्शे मे गलत रूप से अंकन

कर दिया। जिससे मौके पर जहां आबादी विस्तार हेतू भूमि दी गई वहां सिवायचक भूमि है और आबादी विस्तार के लिए दी गई भूमि नये नम्बर 85, 86 बताई गई और उन्हे नक्शे में नये खसरा नम्बर 41 की पूर्वी माठ पर दर्शाया गया है जो गलत है। जबकि मौके पर आबादी विस्तार के लिए दी गई भूमि के नये खसरा नम्बर 84 व 84/119 बनते है और आबादी विस्तार हेतू भूमि भी इसी जगह प्रस्तावित की गई थी। जिससे नक्शा दुरस्ती की जाकर आबादी विस्तार की भूमि को खसरा नम्बर 84 व 84/119 की जगह दर्शाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.02.2022 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 84 व 84/119 मे दर्शाई गई है जबकि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेडता ने बिना किसी आपत्ति के एकपक्षीय बहस सुनकर ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाने व सम्पुर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नही करने का हवाला देकर अपीलार्थी की अपील आदेश दिनांक 04.03.2022 से खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलांट ने धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया था और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.2.2022 मे भी जहां प्रस्तावित आबादी है जिसके खसरा नम्बर 84, 84/119 है जो कि पुराने खसरा नम्बर 31 (हाल नम्बर 42,43) की उत्तरी माठ की सीमा पर स्थित है जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुष्टि स्वंय तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोट से हो रही है फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने गैर कानूनी रूप से तथ्यात्मक रिर्पोट को दरकिनार कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इसके विपरीत यदि उपखण्ड अधिकारी को ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत हो रहा था तो उन्हे ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाकर प्रकरण मे ग्राम पंचायत को भी सुन कर निर्णय पारित कर देना चाहिए था। लेकिन उपखण्ड अधिकारी ऐसा न कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार मेडता के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार किया था। पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबदी नकल ग्राम बासनी सुमेर मांगलिया खाता संख्या 1/1 के अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम

पंचायत के खाते मे आबादी अभिलेखित है। इस प्रकरण मे ग्राम पंचायत को पक्षकार के रूप मे संयोजित नही किया है, तथा दुरस्ती का पर्याप्त आधार स्वरूप रेकार्ड प्रस्तुत नही किया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुराना खसरा नम्बर 55 मे से एक खसरे मे तथा एक ही खसरे के रूप मे आबादी दर्ज हुई जो नवीन भू–प्रबन्ध द्वारा इस आबदी भूमि 06 बीघा के तीन नये खसरे नम्बर 84, 85, एव 86 के मध्य खसरा नम्बर 84/119 स्थित है जो कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। तहसीलदार, मेडता के पत्र क्रमांक भू0अ0/धारा 136/2022/3420 दिनांक 17.02.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मेडता को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 84 व 84/119 मे दर्शाया गया है। पटवारी हल्का द्वारा भी प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया जाना उचित बताया है। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने तहसीलदार मेड़ता व पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी जो उचित नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राज को यथावत रखा जाना चाहिए भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से पूर्व क्या एन्ट्री थी उसकी स्थिति तथा मौके की स्थिति की तहसीलदार से स्वयं से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाकर तथा ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2023 निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेडता द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2023 विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी व ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाकर उनका पक्ष सुनकर तथा तहसीलदार, मेड़ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर